न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–68 सन् 2023

उमेश बैठा वगै0.....वादीगण
बनाम
सुनिल बैठा वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–10.02.2026

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख आवेदक मोती बैठा, जवाहीर बैठा, लालू बैठा, महेश बैठा, नरेश बैठा वो रंजीत बैठा की ओर से आदेश 01 नियम 10 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–23.10.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदकगण का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने उक्त मुकदमा प्रतिवादीगण के विरूद्ध 1/2 हिस्सा हेतु दायर किया है। अर्जीदावी के पेज नं0 03 में वर्णित वंशावली देखने से ज्ञात होगा कि जंगी धोबी वो मंगल धोबी उर्फ भंगी ध ोबी को नावल्द दर्शाकर वर्तमान वाद दायर किया गया है, जो अपने आप में भेग वो अस्पष्ट है। जंगी धोबी अपने एक पुत्री मनई देवी को छोड़कर मर गई है। मनई देवी उर्फ मनइया देवी भी अपने पीछे तीन पुत्र मंगरू बैठा वो हिरा बैठा वो मोती बैठा को छोड़कर मर गई है। मंगरू बैठा भी अपने दो पुत्र जवाहिर बैठा वो लालू बैठा को छोड़कर मर गए हैं। जिस कारण जवाहीर बैठा वो लालू बैठा को हस्तक्षेपक बनाने हेतु आवेदन दिया है। हिरा बैठा भी अपने पीछे तीन पुत्र महेश बैठा, नरेश बैठा वो रंजीत बैठा को छोड़कर मरे। महेश बैठा वो नरेश बैठा वो रंजीत बैठा को हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दाखिल किया है। सर्वे खतियान के अवलोकन से ज्ञात होगा कि जंगी धोबी वो मंगर धोबी उर्फ भंगी धोबी वल्द झसरी धोबी एक हिस्सा वो बिठल धोबी वल्द–हरख धोबी एक हिस्सा वो बहिस्से बराबर कौम– धोबी साकिन देह करके खतियान में दर्ज है। वादी ने जंगी धोबी वो मंगर धोबी उर्फ भंगी धोबी को नावल्द दर्शाकर उनके हक वो हिस्से को हड़प लेना चाहते हैं। उक्त मुकदमा में हमलोगों को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्क है। अतः निवेदन है कि हस्तक्षेपक के उपरोक्त आवेदन स्वीकार करते हुए हमलोगों को पक्षकार बनाने की कृपा प्रदान की जाए।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 11.08. 2025 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

हस्तक्षेपक वो वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में मोती बैठा, जवाहीर बैठा, लालू बैठा, महेश बैठा, नरेश बैठा वो रंजीत बैठा

हस्तक्षेपक पक्षकार बनने हेतु आवेदन दाखिल किया है। उक्त हस्तक्षेपक का आवेदन में कथन है कि वादी अर्जीदावी के पेज नं0 03 में वर्णित वंशावली देखने से ज्ञात होगा कि जंगी धोबी वो मंगल धोबी उर्फ भंगी धोबी को नावल्द दर्शाकर वर्तमान वाद दायर किया गया है, जो अपने आप में भेग वो अस्पष्ट है। जंगी धोबी अपने एक पुत्री मनई देवी को छोड़कर मर गई है। मनई देवी उर्फ मनइया देवी भी अपने पीछे तीन पुत्र मंगरू बैठा वो हिरा बैठा वो मोती बैठा को छोड़कर मर गई है। मंगरू बैठा भी अपने दो पुत्र जवाहिर बैठा वो लालू बैठा को छोड़कर मर गए हैं। जिस कारण जवाहीर बैठा वो लालू बैठा को हस्तक्षेपक बनाने हेतु आवेदन दिया है। हिरा बैठा भी अपने पीछे तीन पुत्र महेश बैठा, नरेश बैठा वो रंजीत बैठा को छोड़कर मरे। महेश बैठा वो नरेश बैठा वो रंजीत बैठा को हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दाखिल किया है। सर्वे खतियान के अवलोकन से ज्ञात होगा कि जंगी धोबी वो मंगर धोबी उर्फ भंगी धोबी वल्द झसरी धोबी एक हिस्सा वो बिठल धोबी वल्द–हरख धोबी एक हिस्सा वो बहिस्से बराबर कौम– धोबी साकिन देह करके खतियान में दर्ज है। वादी ने जंगी धोबी वो मंगर धोबी उर्फ भंगी धोबी को नावल्द दर्शाकर उनके हक वो हिस्से को हड़प लेना चाहते हैं। जबकि वादी ने जो जमीन दिनांक 01.07.2022 को बेचा है उसकी उत्तर चौहदी में हीरा बैठा का नाम दर्शाया है तथा बैनामा दिनांक 22.07.1986 जो मंगरू बैठा विक्रेता है। चूंकि उक्त वाद बंटवारा से संबंधित है तथा हस्तक्षेपक का भी स्वार्थ उक्त बंटवारा वाद में निहित है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु हस्तक्षेपक को उक्त वाद में प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हस्तक्षेपक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.10.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।